परिशिष्ट - "अ"

[ 8/3/2021]

तारां. प्रश्न क्रमांक - 3610

प्रश्न सं. [ क्र. 3610 ]

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई–मेल : dme12001@yahoo.com
वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in
दूरभाष क्रमांक0755–2551719
फैक्स : 0755–2578844

---

क्रमांक 1337/स्था/राज/2020 भोपाल दिनांक 24/12/2020

प्रति,

संभागायुक्त,
भोपाल संभाग,
भोपाल।

विषयः– गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा पैथोलॉजी विभाग के सह–प्राध्यापक की जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2018 में आरक्षण रोस्टर लागू करने विषयक – डॉ. मनीष सुल्या, सहायक प्राध्यापक एफ 83/84, तुलसी नगर, भोपाल 462003 मध्यप्रदेश से प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भः– राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त पत्र दिनांक 04.12.2020

..................

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा पैथोलॉजी विषय के सह प्राध्यापक की जारी विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2018 में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किये जाने के संबंध में डॉ. मनीष सुल्या द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित पत्र दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त हुआ है, जिसमें रोस्टर निर्माण में हुई त्रुटि संबंधी प्रकरण पर विचारकर सम्पूर्ण दस्तावेजों का विश्लेषण कर आवेदक को वर्ष 2016 से पदोन्नति देने की कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही से 30 दिन के भीतर आयोग को अवगत कराने का निर्देश है।

अतः उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है, कि प्रकरण में समयसीमा में उचित कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध है।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
21/12

पृ0क्रमांक 1338/स्था/राज/2020 भोपाल दिनांक 24/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,म.प्र. कमरा संख्या 309, निर्माण सदन, सी.जी.ओ. बिल्डिंग 52–ए, अरेरा हिल्स भोपाल– 462011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
24/12